भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ***तारांकित प्रश्न सं. 62**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

अमेरिका द्वारा जीएसपी वापस लिया जाना

* 62. श्री एम॰के॰ राघवनः

श्री दीपक बैजः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने जनरालाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफ्रेन्स (जीएसपी) के एक लाभार्थी के रूप में भारत को चुनिंदा व्यापार सूची से निष्कासित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ख) उक्त निष्कासन के कारण प्रभावित होने वाले संभावित उत्पादों और उनके मूल्यों (उत्पाद–वार) का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्णय से देश के निर्यातकों को किस प्रकार और कितना नुकसान होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पुनः आरंभ करने हेतु उच्चतम स्तर पर बातचीत कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अनुमानित राजस्व हानि कितनी है तथा देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और सरकार द्वारा लुप्त हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 871**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

काजू उद्योग

871. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का काजू उद्योग का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक नीति पेश करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या सरकार ने काजू उद्योग के संकट पर ध्यान दिया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा काजू उद्योग के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(घ) सरकार द्वारा उचित मूल्य पर कच्चे काजू की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कच्चे काजू की अनुपलब्धता के कारण केरल में काजू उद्योग को बंद कर दिया गया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चे काजू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क), (ख) एवं (ग) : सरकार के संज्ञान में आया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्ची काजू गिरी की आपूर्ति स्थिति के कारण, काजू उद्योग के कुछ भागों में संचालन संबंधित मुद्दे हैं । सरकार का वर्तमान में काजू उद्योग की सुरक्षा के लिए कोई व्यापक स्कीम लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सरकार ने काजू उद्योग के मुद्दों के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं -

- दिनांक 12.06.2019 की डीजीएफटी अधिसूचना के तहत काजू गिरी, टुकडों (08013210) एवं काजू गिरी, साबुत (08013220) के लिए आयात नीति में संशोधन करके इस शर्त पर 'फ्री' से 'निषिद्ध' कर दिया गया है कि 'अगर काजू गिरी, टुकडों (08013210) के आयात का सीआईएफ मूल्य रू. 680/- प्रति किग्रा. से अधिक है तो आयात फ्री होगा' और 'अगर काजू गिरी , साबुत (08013220) के आयात का सीआईएफ मूल्य रू. 720/- प्रति किग्रा से अधिक है तो आयात 'फ्री' होगा ।
- कच्ची काजू गिरी के आयात पर मूलभूत सीमा शुल्क दिनांक 01.02.2018 से 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है ।
- काजू गिरी के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है ।

- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि समीक्षा के तहत काजू के लिए भारत पण्य वस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) को काजू गिरी के लिए (3 प्रतिशत से) बढाकर 5 प्रतिशत और लवणित/भुने काजू के लिए और (5 प्रतिशत से) बढाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है ।
- अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत आयातित अपरिष्कृत काजू से काजू गिरी के निर्यात के लिए पिछले 4 किग्रा कच्ची काजू गिरी से 1 किग्रा के मानक की तुलना में अपरिष्कृत 5.04 किग्रा काजू गिरी से 1 किग्रा गिरी करने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स (एसआईओएन) को संशोधित किया गया ।
- रू. 60.00 करोड के वित्तीय परिव्यय से काजू प्रसंस्करण इकाइयों की प्रक्रिया यांत्रिकीकरण और ऑटोमेशन के लिए मध्यावधि संरचना (2017-2020) स्कीम को स्वीकृति दी । एमटीएफ (2017-20) के तहत सहायता अनुदान के रूप में मार्च, 2019 तक काजू निर्यात संवर्धन परिषद को रू. 5.00 करोड की राशि जारी की गई है ।
- अल्प विकसित देशों (एलडीसी) से ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रीफेरेंस (डीएफटीपी) के तहत कच्ची काजू गिरी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है ।
- नए बाजारों का पता लगाने एवं ब्रॉडिग के लिए बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभागिता करने एवं क्रेता विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन करने के लिए भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

(घ) एवं (च) : भारतीय काजू उद्योग काजू गिरी की घरेलू एवं निर्यात मांग (जरूरत का लगभग 50 प्रतिशत) पूरी करने के लिए आयातित कच्ची काजू गिरियों पर बहुत अधिक निर्भर है । कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) ने समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत काजू का व्यापक क्षेत्र विस्तार करके तथा परम्परागत एवं गैर - परमपरागत राज्यों में जराग्रस्त काजू बागानों को उच्च ऊपज वाली किस्मों से प्रतिस्थापित करके घरेलू उत्पादन बढाने के लिए कार्यनीतियां बनाई हैं । कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने काजू की खेती को 1.20 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने के लिए काजू गिरी एवं कोकोआ विकास महानिदेशालय (डीसीसीडी) के रोडमैप प्रोग्राम को मंजूरी दी है । वर्ष 2016-17 के दौरान 7,79,335 मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 2017-18 के दौरान कच्ची काजू गिरी के उत्पादन में 4.83 प्रतिशत की बढोतरी हुई है और यह 8,17,045 मीट्रिक टन हो गया है, जबकि 2015-16 के दौरान 6,70,300 मीट्रिक टन के उत्पादन के मुकाबले इसमें 21.89 प्रतिशत की बढोतरी हुई 1

(ड.) : जी नहीं । सरकार को कच्ची काजू गिरी की अनुपलब्धता के कारण काजू उद्योग बंद होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 854

दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रतिबंधित सामग्रियां

854. श्री रामचरण बोहराः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा निर्यात के लिए प्रतिबंधित की गई सामग्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में नीति की समीक्षा का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): निर्यात के लिए निषिद्ध मदें, अनुलग्नक–I में दी गई हैं।

सार्वजनिक नैतिकता की सुरक्षा, मानव, पशु या पौध जीवन अथवा स्वास्थ्य की सुरक्षा, कलात्मक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के राष्ट्रीय खजाने की सुरक्षा, क्षयशील प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि जैसे विभिन्न कारणों से मदों पर निषेध/प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(ग) और (घ): एक व्यापक ढ़ांचे के भीतर विभिन्न वस्तुओं की निर्यात और आयात नीतियां गत्यात्मक स्वरुप की हैं तथा उभरती हुई स्थितियों का समाधान करने के लिए आवश्यकता आधारित तरीके से सरकार द्वारा समय–समय पर उनकी समीक्षा की जाती है।

अनुलग्नक–I

मदों जो नि"ाद्ध हैं और जिनका वर्तमान निर्यात नीति, 2018 के अनुसार निर्यात नहीं किया जा सकता, की सूची

क्र० सं०	मद विवरण
1.	सभी वन्य जीव, उनके उत्पादों और व्यूत्पन्नों सहित पशुओं से बनी वस्तुएं उन्हें छोड़कर जिनके लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं और वे भी जो उनके हिस्से और उत्पादों सहित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रबंधन के लिए कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक हैं।
2.	कुछ पक्षी जिनका निर्यात मुक्त रुप से अनुमत है को छोड़कर जीवित आकर्षक पक्षी
3.	गाय, बैल और बछड़े का मांस
4.	पशु शव और अर्ध शव में भैंस की मीट–ताजा, प्रशीतित और हिमशीतित हड्डी सहित मांस का अन्य टुकडा
5.	गायों, बैलों और बछड़ों के औफल के रुप में बीफ
6.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में उल्लिखित समुद्री प्रजातियां (और उनके हिस्से, उत्पाद और व्युत्पन्न)
7.	बेचे–डे–मर (समुद्री ककड़ी)
8.	शार्क की सभी प्रजातियों के शार्क फिन्स
9.	पैनुलीरस पॉलीफेगस, पैनुलीरस होमेरस, पैनुलीरस आर्नेटस सैन्ड लॉबस्टर (विभिन्न प्रकार के लॉबस्टर)–विनिर्दिष्ट वजन के
10.	मानव कंकाल
11.	मोर के पुच्छ के पंख और मोर के पुच्छ के पंखों के हस्तशिल्प और वस्तुएं
12.	चीतल और सांभर के शेड एंटलर की छीलन
13.	चीतल और सांभर के शेड एंटलर की छीलन की विनिर्मित वस्तुएं
14.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल प्रजातियों से समुद्री जीव के पालिश किए गए कवच और हस्तशिल्प सहित समुद्री जीव के कवच
15.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की किन्हीं भी अनुसूचियों में या वन्य वनस्पतियों और वन्यजीवों की विलुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेशंन (साइट्स) के परिशिष्ट–I या निर्यात लाइसेन्सिंग टिप्पणी–1 में विनिर्दिष्ट प्रजातियों की वन्य उत्पत्ति के पौधे और पौधों के हिस्से।

16.	मछली के तेल, भैंस की चरबी और लैनोलिन को छोड़कर चरबी, वसा और/या किसी भी पशु मूल का तेल
17.	अध्याय 15 के अंतर्गत सभी खाद्य तेल
18.	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत रसायन जब उस देश को निर्यात किया जाए जो उन पदार्थों जो ओजोन परत को क्षीण करते हैं, से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल का पक्षकार नहीं है।
19.	कंडोम के विशिष्ट प्रकार
20.	चिरी हुई लकड़ी को छोड़कर आयातित लट्ठे/लकड़ी से अनन्य रुप से बने लट्ठे, लकड़ी, स्टम्प, जड़, बार्क, चिप्स, पाउडर, फ्लेक्स, धूल और चारकोल के रुप में लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद।
21.	लॉग्स में, बिलेट में, ट्विग्स में या इसी प्रकार के रुप में ईंधन की लकड़ी; चिप्स और कण में लकड़ी; लकड़ी का बुरादा और लकड़ी का अपशिष्ट तथा स्क्रैप, लाग्स, ब्रिक्वेट्स, पेलेट्स या समान रुप में संकुलित हों अथवा नहीं हो।
22.	लकड़ी का चारकोल, संकुलित हो अथवा नहीं हो
23.	आयातित लट्ठे/लकड़ी से अनन्य रुप से बनी, चिरी हुई लकड़ी को छोड़कर, लम्बाई के अनुसार चिटी हुई या अपखंडित कटी हुई या छिलका हटायी हुई लकड़ी अथवा जिसकी 6 मि० मी० से अधिक मोटाई हो।
24.	तैयार हस्तशिल्प को छोड़कर किसी भी रुप में चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी का तेल
25.	किसी भी रुप में लाल–चंदन की लकड़ी, चाहे वे कच्ची, संसाधित या गैर–संसाधित हो
26.	लकड़ी की यांत्रिक लुगदी
27.	लकड़ी की रसायनिक लुगदी, जो घुलनशील श्रेणी की हो।
28.	लकड़ी की रसायनिक लुगदी, सोडा या सल्फेट, घुलनशील श्रेणियों को छोड़कर
29.	लकड़ी की रसायनिक लुगदी, सल्फाइट, घुलनशील ग्रेड को छोड़कर
30.	लकड़ी की अर्ध रसायनिक लुगदी

टिप्पणीः एचएस कोड स्तर पर मदवार निर्यात नीति आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की निर्यात नीति की अनुसूची–2 में है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 802

दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्तु निर्यात

802. श्री सुधीर गुप्ताः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वस्तु निर्यात में रिकॉर्ड अधिकतम 321.02 बिलियन डॉलर प्राप्त करने के पश्चात् देश अपना स्वयं का 330 बिलियन डॉलर का लक्ष्य चूक गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा वस्तु निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश ने वर्ष 2018—19 के लिए वस्तु माल हेतु अधिकतम व्यापार घाटा अनुभव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) में नियमों को शिथिल करके योजनाओं जैसेकि 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से एफ.डी.आई. बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 8.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2018—19 में व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 330.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकार्ड वृद्धि हासिल की है।

(ख) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015—20 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई। इस नीति में अन्य बातों के साथ—साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाए गए।

ii. विदेश व्यापार नीति, 2015—20 की मध्यावधि समीक्षा 5 दिसम्बर, 2017 को की गई। प्रति वर्ष 8450 करोड़ रु. के वित्तीय निहितार्थ के साथ श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

iii. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नये लॉजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।

iv. पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण सम्बधी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिससें श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।

v. व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। विश्व बैंक की "व्यापार करने की सुगमता" रैंक में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 77 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से 80 हो गया।

vi. देश में निर्यात अवसंरचनात्मक अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।

vii. दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।

viii. विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च्च लागत की हानि को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामत "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) स्कीम प्रारंभ की गई है।

ix. वस्त्र और निर्मितियों के निर्यात को शामिल करते हुए एक नई स्कीम नामतः राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी से छूट प्रदान करने हेतु स्कीम (आरओएससीटीएल) को दिनांक 7.3.2019 को अधिसूचित किया गया जिसके अंतर्गत उच्च दरों पर शुल्कों/करों का रिफंड दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार घाटा वर्ष 2017–18 में 162.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 183.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। व्यापार घाटा विविध वैश्विक और घरेलू कारकों जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति, मुद्रा में उतार–चढ़ाव, निर्यात गंतव्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों के बीच व्यापार समझौते, निर्यात गंतव्य देशों द्वारा गैर–प्रशुल्क बाधाएं, क्रेडिट लागत, लॉजिस्टिक लागत आदि के कारण विभिन्न वस्तुओं के आयात–निर्यात में सापेक्ष उतार–चढ़ाव पर निर्भर है। वर्ष 2018–19 के दौरान व्यापार घाटा मुख्य रूप से पेट्रोलियम क्रूड और उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु और मशीनरी वस्तुओं के अधिक आयात और रत्न एवं आभूषण, वस्त्र मदों और समुद्री उत्पादों के कम निर्यात के कारण बढ़ा है।

(ड.) सरकार ने एफडीआई के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति तैयार की है; जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई के लिए खुले हैं। सरकार निरंतर आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर आवश्यक बदलाव करती है कि भारत आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बना रहे। संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, शीर्ष उद्योग मंडलों, संघों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद और उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अंशांकित तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति दी जाती है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 770

दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुपारी का आयात

770. श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों से सुपारी का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी देश–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में सुपारी के मूल्य और उत्पादन में गिरावट के कारण देश में सुपारी उत्पादकों की समस्याओं का संज्ञान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सुपारी उत्पादकों की समस्याओं के समाधान और उनके उत्पाद का पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सुपारी का आयात मुख्यतः श्रीलंका और इंडोनेशिया से हुआ है। सुपारी का पिछले दो वर्षो के देशवार और वर्षवार आयात का आंकड़ा संलग्न है।

(ग) और (घ) कृषकों के संरक्षण के लिए सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य को जनवरी माह 2017 में 162 रु०/प्रति कि० ग्राम से बढाकर 251 रु/प्रति किलोग्राम कर दिया है। एमआईपी लगाने के बावजूद सुपारी के वृहद पैमाने पर आयात के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिससे घरेलू कृषकों/उत्पादको को नुकसान हुआ। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार ने सुपारी की

आयात नीति को जुलाई 2018 में इसके आयात को एमआईपी 251 रु०/प्रति क्रिग्रा से नीचे प्रतिबंधित कर आगे संशोधित किया। सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ घरेलू सुपारी उत्पादकों की समस्याओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

(i) सुपारी पर आयात शुल्क को 100% निर्धारित किया गया है।

(ii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने फील्ड कार्यालयों को आयात खेपों की निकासी से पूर्व सुपारी के गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो को सुपारी के मानक निर्धारित करने के लिए कहा गया है। ऐसा घटिया गुणवत्ता की सुपारी को भारतीय बाजारों मे प्रवेश करने और घरेलू मूल्यों को अस्थिर करने से रोकने के उद्देश्य से किया गया है।

(iii) हमारे एफटीए भागीदारों से आयात के लिए, सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अत्यधिक सावधानी से उदभव के नियमों की जांच करने की सलाह दी गई है जिससे यह सुनिश्चित हो कि सार्क देशों को छोड़कर अन्य देशों में उगायी गयी सुपारी का एसएएफटीए के अंतर्गत निम्न आयात शुल्क का फायदा उठाते हुए हमारे पडोसी देशों के जरिए आयात नहीं किया जाए।

अनुलग्नक

पिछले दो वित्तीय वर्षों (2017–18 से 2018–19) और मौजूदा वित्तीय वर्श 2019–20 (अप्रैल 2019 तक) के लिए मद–वार और देष वार सुपारी का भारत का आयात

आईटीसीएचएस	मद विवरण	**देष**	2017.18		2018.19		2019.20 (अप्रैल 2019 तक)	
			मात्रा ;टनद्ध	मूल्य (अमेरिकी मिलियन डॉलर)	मात्रा ;टनद्ध	मूल्य (अमेरिकी मिलियन डॉलर)	मात्रा ;टनद्ध	मूल्य (अमेरिकी मिलियन डॉलर)
08028010	संपूर्ण सुपारी	इंडोनेशिया			656ण50	1ण85	50ण00	0ण20
		मेडागास्कर						
		म्यांमार						
		पाकिस्तान आईआर						
		श्रीलंका डीएसआर	276ण15	1ण09	264ण00	1ण02		
		वियतनाम समाजवादी गणराज्य						
	कुल संपूर्ण सुपारी		**276ण15**	**1ण09**	**920ण50**	**2ण88**	**50ण00**	**0ण20**
08028020	स्प्लिट सुपारी	बंगलादेश पीआर						
		इंडोनेशिया	36ण00	0ण03	3383ण00	5ण28	216ण00	0ण31
		मलेशिया						
		म्यांमार						
		नेपाल						
		पाकिस्तान आईआर	1ण80	0ण01				
		श्रीलंका	51ण57	0ण21				
		तिमोर–लेस्ते						
	कुल स्प्लिट सुपारी		**89ण37**	**0ण25**	**3383ण00**	**5ण28**	**216ण00**	**0ण31**
08028090	**अन्य सुपारी**	अफगानिस्तान			3ण36	0ण01		
		ऑस्ट्रेलिया			0ण40	0ण00		

		बंगलादेश पीआर						
		इंडोनेशिया			3084ण00	12ण27	189ण00	0ण23
		म्यांमार						
		पाकिस्तान आईआर						
		सिंगापुर						
		श्रीलंका डीएसआर	11509ण69	45ण89	10728ण96	40ण29	18ण00	0ण07
		संयुक्त अरब अमीरात						
		यू के						
		वियतनाम समाजवादी गणराज्य			32ण00	0ण08		
	कुल अन्य सुपारी		**11509ण69**	**45ण89**	**13848ण72**	**52ण66**	**207ण00**	**0ण29**

टिप्पणी 1: उक्त अवधियों के दौरान किसी भी मद, जिसका आईटीसीएचएस कोड '08028030' (पीसी हुई सुपारी) है, के आयात की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

टिप्पणी 2: वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 से संबंधित आंकडे अनंतिम और परिवर्तन के अधीन हैं।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 753**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

जलकृषि का निर्यात

753. श्री बालाशोवरी वल्लभानेनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा, जो अमेरिका सहित अन्य देशों को गत पांच तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार और मात्रा–वार राजस्व का निर्यात कर रहे हैं, और इससे वर्ष–वार और राज्य–वार कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या अमेरिका ने हाल ही में भारतीय झींगा निर्यात पर एंटी–डंपिंग शुल्क लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त शुल्क ने अमेरिका को विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के संदर्भ में झींगा निर्यात को किस हद तक प्रभावित किया है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान जल कृषि उत्पादों के निर्यात एवं निर्यातों के जरिऐ अर्जित राजस्व का राज्य और मात्रा वार विवरण **<u>अनुलग्नक- I</u>** में दिया गया है।

(ख): जी नहीं। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय झींगा निर्यात पर पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित नहीं किया है। तथापि, अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थानीय झींगा उत्पादक संघ, दक्षिणी श्रिम्प प्रोड्यूसर्स एलायंस के अभ्यावेदनों के आधार पर वर्ष 2004 में भारत सहित कुछ देशों से गर्म पानी के फ्रोजन झींगा के आयात पर पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित किया था।

(ग) : अमेरिका द्वारा अधिरोपित प्रारंभिक पाटन रोधी शुल्क 10.17% था जिसकी बाद में समीक्षा की गई थी। हर साल एकत्र किए जाने वाले शुल्क पर एक प्रशासनिक समीक्षा होती है, और अब तक 12 प्रशासनिक समीक्षाएं की जा चुकी हैं । 01.02.2016 से 31.01.2017 तक आयात की अवधि के लिए 12 वीं प्रशासनिक समीक्षा का अंतिम परिणाम 1.35% पाटन रोधी शुल्क है, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश सहित, भारत के निर्यातकों पर लागू होता है। 23 अप्रैल 2019 को, अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत से गर्म पानी के कुछ जमे हुए झींगा पर पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करने के आदेश की 13वीं प्रशासनिक समीक्षा के प्रारंभिक परिणामों को प्रकाशित किया। इन प्रारंभिक परिणामों के आधार पर, भारतीय कंपनियों के लिए पाटन रोधी शुल्क दर 1.87% थी और इस समीक्षा का अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है ।

पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने के बाद भी अमेरिका को झींगा निर्यातों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ोतरी का रूझान प्रदर्शित किया है ।

अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों एवं 2018-19 के लिए जल कृषि उत्पादों का राज्यवार निर्यात						
क्यू : मात्रा टन में , वी: मूल्य करोड़ रुपये में $:मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में						
राज्य		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 *
गुजरात	मात्रा :	832	1560	2876	2848	4527
	मूल्य:	53.20	90.35	153.87	137.45	219.36
	$:	8.76	13.79	23.17	21.61	31.20
महाराष्ट्र	मात्रा :	33621	32,664	34,618	40,997	43,579
	मूल्य:	1568.37	1472.08	1739.97	2040.63	2011.09
	$:	258.83	227.31	262.53	320.56	291.56
गोवा	मात्रा :	1960	1841	1615	2918	1776
	मूल्य:	110.15	87.50	77.28	136.30	69.90
	$:	18.11	13.41	11.70	21.41	10.21
कर्नाटक	मात्रा :	940	485	875	1148	1576
	मूल्य:	46.89	20.58	43.86	57.05	61.49
	$:	7.64	3.22	6.59	8.97	8.92
केरल	मात्रा :	24,511	21145	18,446	20243	32,838
	मूल्य:	1458.28	1004.16	948.29	1062.00	1284.03
	$:	240.70	155.54	143.01	166.86	186.76
तमिलनाडु	मात्रा :	51,343	48139	46936	70526	70,152
	मूल्य:	3275.23	2590.02	2582.43	3729.47	3505.10
	$:	540.12	400.55	389.26	585.82	510.60
आंध्र प्रदेश	मात्रा :	132,637	149,512	193,534	219,782	235,353
	मूल्य:	9202.54	8584.24	11740.31	13152.47	13022.84
	$:	1520.56	1325.40	1770.41	2065.39	1884.10
पश्चिम बंगाल	मात्रा :	44035	46013	60,800	72,815	73,056
	मूल्य:	2772.46	2483.68	3531.04	4118.42	3715.46
	$:	459.01	385.33	532.37	646.87	539.71
असम	मात्रा :	0	0	0.0750	0	0.000
	मूल्य:	0.00	0.00	0.0010	0.00	0.000
	$:	0.00	0.00	0.0002	0.00	0.000
दिल्ली	मात्रा :	47	0	0.260	1	0
	मूल्य:	2.42	0.00	0.007	0.056	0.00
	$:	0.39	0.00	0.001	0.009	0.00
कुल	मात्रा :	289,926	301,360	359,702	431,277	462,857
	मूल्य:	18489.54	16332.61	20817.04	24433.84	23889.26
	$:	3054.12	2524.55	3139.05	3837.49	3463.06

(* अनंतिम)

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 750**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

दिल्ली में ईपीजेड और ईओयू

750. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सूची का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या दिल्ली में निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन (ईपीजेड) और 100. निर्यात उन्मुखी इकाई (ईओयू) है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और आंकड़े क्या हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में निवेश लाने के लिए उद्योगों को विशेष रियायतें और प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : इस समय दिल्ली में कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नहीं है ।

(ख) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) को अब विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के नाम से जाना जाता है । वर्तमान में, दिल्ली में कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नहीं है । तथापि, दिल्ली में 8 निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) हैं । दिल्ली में 100 प्रतिशत ईओयू का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

(ग) एवं (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को अनुमति प्राप्त वित्तीय रियायतें एवं कर / शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम, 2005 एवं उसके तहत बने नियमों में अंतनिर्हित हैं और निर्यातोन्मुखी इकाईयों (ईओयू) के संबंध में ये रियायतें एवं कर/शुल्क लाभ समय -समय पर यथा - संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 में उपलब्ध हैं, जो सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर समान रूप से लागू हैं ।

*****

अनुबंध

दिल्ली में विद्यमान 100 प्रतिशत ईओयू का विवरण			
क्र. सं.	ईओयू का नाम	फैक्टरी का पता	विनिर्माण की मद
1.	अल्बियोन कंसलटिंग प्रा. लि.	एफ - 90/12, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज - I	हस्त निर्मित हीरा, एवं चांदी के गहने
2.	आर्टिफैक्ट्स इंडिया	बी - 51, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज - I नई दिल्ली	स्टॉकिंग मेडअप्स, टी स्कर्ट्स मेकअप्स, फोटोफ्रेम इत्यादि
3.	पी.सी.एल एक्सपोर्ट्स	बी - I / ई - 16 मोहन कॉपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट मथुरा रोड बदरपुर, नई दिल्ली - 110044	डाटा प्रोसेसिंग, एम.टी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर
4.	पी.पी.ज्वेलर्स (एक्सपोर्ट्स)	2681-83 ए, दूसरी एवं तीसरी मंजिल, गली नं. 1, गुरूद्वारा रोड, बीडनपुरा रोड, नई दिल्ली	सोने एवं चांदी के आभूषण
5.	सीमा ओवरसीज	बी - II /46, मोहन कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली	बिल्डर्स हार्डवेयर
6.	एसएस गैस लैब एशिया प्रा.लि.	ए - 6/3, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, शाहदरा, दिल्ली	गैस प्लांट्स एवं उनके पार्ट्स
7.	वेलस्प्रिंग यूनिवर्सल	बी - 19, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज - I,नई दिल्ली - 110064	हैंड टूल्स, वेल्डिंग मशीन टूल्स/एसेसरीज एवं सुरक्षा उत्पाद, बिल्डर्स हार्डवेयर, कपड़ों का ड्रायर
8.	विप्रो.लि.	ओमैक्स स्क्वॉयर, कॉमर्शियल प्लाट नं. 14, भूतल एवं तीसरी से पांचवी मंजिल, ऑफिस ब्लॉक, नई दिल्ली	आई टी इनेबल्स सर्विसेज

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 741**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

ब्रिक्स में व्यापार

741. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ब्रिक्स (बी॰आर॰आई॰सी॰एस॰) राष्ट्रों के बीच व्यापार उनके कुल वैश्विक व्यापार के 5 प्रतिशत से कम हैं;
(ख) यदि हां, तो वर्तमान में ब्रिक्स देशों के साथ भारत के व्यापार का देश–वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने व्यापार बढाने के लिए अलग–अलग ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या भेषज उत्पादों के लिए चीन और ग्रीन चैनल को चावल उत्पादन के बारे में विशेष रूप से यूएस और चीन के बीच व्यापार युद्ध के पश्चात चीन के साथ चर्चा के लिए भी आगे आए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ख) : जी नहीं, वर्ष 2017 के लिए यूएन कामट्रेड आकंडो के अनुसार, इंट्रा ब्रिक्स व्यापार का हिस्सा ब्रिक्स देशों के वैश्विक व्यापार का 10 प्रतिशत से अधिक है । वर्ष 2018-19 के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ भारत के व्यापार का विवरण **अनुबंध -I** पर दिया गया है ।

(ग) से (ड.) : जी हॉ, सरकार ने ब्रिक्स देशों सहित सभी देशों के साथ व्यापार बढाने के लिए संयुक्त आयोग बैठकों (जेसीएम) और संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) जैसे संस्थापित संस्थागत तंत्रों के जरिए बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाया है । चीन के साथ द्विपक्षीय संयुक्त समिति समूह के माध्यम से भारतीय चावल और भेषजों के निर्यात सहित बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाया गया था ।

अनुबंध -I

वर्ष 2018-19 में ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार (मिलियन यूएस डॉलर में)

देश	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन
चीन	16,749.59	70,319.55	87069.14	-53,569.96
रूस	2389.49	5840.44	8,229.93	-3,450.95
दक्षिण अफ्रीका	4067.20	6517.33	10,584.53	-2,450.13
ब्राजील	3800.49	4406.43	8,206.92	-605.94
ब्रिक्स कुल	27,006.77	87,083.75	114,090.52	-60,076.98

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 740**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध

740. श्री भर्तृहरि महताबः
श्री राहुल रमेश शेवलेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विभिन्न कृषि उत्पादों पर समय – समय पर प्रतिबंध लगाने/हटाने हेतु क्या मानदण्ड अपनाया/अनुसरित किया जाता है;
(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों पर ऐसे प्रतिबंध लगाने/हटाने का किसानों/उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के आंकलन हेतु कोई अध्ययन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों की दीर्घावधि संगत और पूर्वानुमेय निर्यात–आयात नीति बनाने का है और यदि हां तो ऐसी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने/हटाने के प्रतिकूल प्रभाव से किसानों/उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : कृषि उत्पादों हेतु निर्यात एवं आयात नीतियों, जिनमें अलग - अलग कृषि उत्पादों के निर्यात / आयात पर से प्रतिबंध उठाने/पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना शामिल है, को अनेक कारकों जैसे घरेलू आवश्यकताओं (बफर स्टॉक और कार्यनीतिक रिजर्व की आवश्यकता सहित, यदि कोई हो) से अधिक बेशी की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा की चिंताओं , राजनयिक/मानवीय विचारों, अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतों और किफायती कीमतों पर आम आदमी को कृषि उत्पादों की उपलब्धता के बीच संतुलन आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है । विगत तीन वर्षों के दौरान,किसी भी प्रमुख कृषि उत्पाद के निर्यात /आयात पर कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया गया है। इसलिए, इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) एवं (घ): दिसंबर 2018 में सरकार द्वारा लायी गई कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादों हेतु स्थिर व्यापार नीति लाना है, जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

1) यह आश्वासन प्रदान करना कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद और सभी प्रकार के कार्बनिक उत्पाद किसी प्रकार के निर्यात प्रतिबंध (अर्थात न्यूनतम निर्यात कीमत, निर्यात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध, निर्यात कोटा, निर्यात कैप्पिंग , निर्यात परमिट आदि) के दायरे में नहीं लाए जाएंगे यद्यपि प्राथमिक कृषि उत्पाद अथवा गैर- कार्बनिक कृषि उत्पाद किसी तरह के निर्यात प्रतिबंधों के अधीन लाया जाता है ।

2) कुछ पण्य वस्तुओं की पहचान करना जो प्रासंगिक पणधारियों और मंत्रालयों के परामर्श से खाद्य सुरक्षा हेतु अनिवार्य हैं । अत्यधिक कीमत की स्थिति के तहत अभिज्ञात किए गए ऐसे पण्य वस्तुओं पर किसी तरह का निर्यात प्रतिबंध उच्च स्तरीय समिति के निर्णय पर आधारित होगा । इसके अलावा, उपरोक्त अभिज्ञात की गई पण्य वस्तुओं पर किसी तरह का निर्यात निषेध और प्रतिबंध डब्ल्यूटीओ में संगत तरीके से उठाया जाएगा ।

3) मूल्य वर्द्धन और पुन: निर्यात के लिए कृषि उत्पादों का उदारीकृत आयात ।

नीति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, 'अनिवार्य पण्य वस्तुओं' पर सचिवों की समिति के अधिदेश को कुछ पण्य वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंधों पर सिफारिश प्रदान करने हेतु विस्तारित किया गया है , जो सिर्फ अत्यधिक कीमत की स्थिति के तहत, खाद्य सुरक्षा हेतु अनिवार्य हैं ।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 734**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

''भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार''

734. श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत और अमेरिका के मध्य हाल ही में आयोजित द्विपक्षीय व्यापार–बैठक का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त बैठक के दौरान तय किए गए एजेंडे और विचारित मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;
(ग) क्या अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार में माल और सेवा में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अमेरिका ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 5.6 बिलियन डॉलर के अधिमान्य शुल्क को खत्म करने की घोषणा की है;
(ङ) यदि हां, तो क्या इससे भारत का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होगा; और
(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और दोनों देशों के मध्य लंबित व्यापार मामलों को सुलझाने तथा आर्थिक विकास और समृद्धि को बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और अमेरिका के वाणिज्य सचिव ने हाल ही में 06 मई, 2019 को एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की ।

(ख): मुद्दों में व्यापार संबंध को एक उच्च स्तर पर ले जाने पर आम सहमति सहित पारस्परिक चिंता के विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया गया ।

(ग): जी नहीं, अमेरिका के साथ वर्ष 2018 में वस्तुओं एवं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । वर्ष 2018 में वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार में 22.4 प्रतिशत (डीजीसीआईएस के आंकडे) की वृद्धि तथा सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में 9.3 प्रतिशत (अमेरिकी सेन्सस ब्यूरो) दर्ज की गई ।

(घ) : जी हां ।

(ङ.) भारत ने कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान जीएसपी कार्यक्रम के तहत अमेरिका को 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसटीआर आंकड़ों के अनुसार) के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जिसने वर्ष के दौरान अमेरिका को भारत के कुल निर्यात में 12.1 प्रतिशत का योगदान दिया । इसका प्रभाव जीएसपी लाभों एवं प्रत्येक उत्पाद के लिए विशिष्ट अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को वर्ष 2018 में भारत के निर्यातों के 3.8 प्रतिशत की छूट के साधारण औसत स्तर से संघटित विशिष्ट छूटों के हिसाब से विभिन्न उत्पादों पर अलग - अलग पड़ेगा ।

(च): व्यापार संबंधी मुद्दे किन्हीं भी चल रहे आर्थिक संबंधों का भाग होते हैं , तथा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नियमित द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के एक भाग के रूप में इन पर विचार- विमर्श और इनका समाधान किया जाता रहेगा ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 730

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

भारत का वैश्विक व्यापार

730. श्री पंकज चौधरीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अन्य देशों में व्यापार के मोर्चे पर सरकार के समक्ष आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन कठिनाइयों से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): वैश्विक व्यापार (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) में भारत का हिस्सा वर्ष 2017 में निर्यात के लिए 2.1 प्रतिशत (कुल 23,044 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 481.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और आयात हेतु 2.6 प्रतिशत (कुल 23,112 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 600.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। वर्ष 2016–17 से लगभग तीन वर्षो के लिए निर्यात नियमित आधार पर बढ़ रहा है और कुल निर्यात वर्ष 2018–19 में पहली बार आधा ट्रिलियन डॉलर से अधिक की नई उचाई पर पहुंच गया। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैंः

i. नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई। इस नीति में अन्य बातों के साथ–साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाए गए।

ii. विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा 5 दिसम्बर, 2017 को की गई। प्रति वर्ष 8450 करोड़ रु. के वित्तीय निहितार्थ के साथ श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

iii. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नये लॉजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।

iv. पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण सम्बन्धी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिससें श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।

v. व्यापार करने की सुगमता" को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। विश्व बैंक के "व्यापार करने की सुगमता" रैकिंग में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 77 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से 80 हो गया।

vi. देश में निर्यात अवसंरचनात्मक अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।

vii. दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।

viii. विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च्च लागत की हानि को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामत "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) स्कीम प्रारंभ की गई है।

ix. वस्त्र और निर्मितियों के निर्यात को शामिल करते हुए एक नई स्कीम नामतः राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी से छूट प्रदान करने हेतु स्कीम (आरओएससीटीएल) को दिनांक 7.3.2019 को अधिसूचित किया गया जिसके अंतर्गत उच्च दरों पर शुल्कों/करों का रिफंड दिया जा रहा है।

(ख) निर्यातकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रमुख कठिनाइयां निम्नानुसार हैः

i. व्यापार करने में तकनीकी और गैर–तकनीकी बाधाएं जैसे कि कृषि वस्तुओं पर लागए गए सैनिटरी और फाइटो–सैनिटरी (एसपीएस) मानक और विनिर्मित वस्तुओं पर गुणवत्ता मानक।

ii. प्रतिस्पर्धी देशों के निर्यातकों को उनके देशों और गतंव्य देशों/क्षेत्रों के बीच व्यापार समझौतों के कारण प्रमुख निर्यात बाजारों में प्रशुल्क सम्बन्धी लाभ।

iii. भारतीय निर्यातकों के लिए उच्च लॉजिस्टिक्स और वित्तपोषण लागत।

(ग) और (घ) सरकार ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जो निर्यातक समुदाय, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य उद्योग संघों के फीडबैक के आधार पर नियमित रूप से अद्यतित की जाती है। राज्य सरकारों से भी राज्य विशिष्ट अवसरों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए निर्यात कार्यनीति विकसित करने का अनुरोध किया गया है। बोर्ड ऑफ ट्रेड और व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद निर्यात को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने हेतु राज्य सरकारों सहित, सभी हितधारकों के लिए मंच प्रदान करते हैं।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 685**

दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

दुग्ध और कृषि उत्पादों का निर्यात

685. श्री दीपक बैजः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भारत की ओर से दुग्ध और कृषि आयात हेतु अपने बाजार खोलने के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां । एफएओ रिपोर्ट (फूड आउटलुक, मई 2019) के अनुसार भारत 2015-2017 में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक था ।

(ख) और (ग) जी हां । संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत से निर्यात के लिए कृषि उत्पादों अर्थात खाद्य अंगूर, अनानास, पपीता, आलू, शलजम, मूली और मौसमी के लिए संयुक्त राज्य अमेरीका को बाजार पहुंच अनुरोध भेज दिया गया है। वर्तमान में, भारत संयुक्त राज्य अमरीका को दुग्ध उत्पादों अर्थात मक्खन, घी, पनीर का निर्यात करता है ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 684**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

नई कॉफी और काली मिर्च नीति

684. श्री भगवंत खुबाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एक नई कॉफी और काली मिर्च नीति की योजना बना रही है जिससे वास्तविक कॉफी और काली मिर्च उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के लिए कोई मसौदा तैयार किया है और संबंधित राज्यों से उनकी अभ्युक्तियां मांगी हो;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त नीति में किसानों हेतु कॉफी और काली मिर्च के संतोषप्रद मूल्य तय किए गए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

त

धघ ण ʿध ण

(णप ण)

(फ ब उ त . फ त उ त फ्ध . त फत त
ˎ धत उ त फ णफ ब, त फ फ ण फ फठ फ ध ब ब

फ " ॸ ब क

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 663**

दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

नई राष्ट्रीय रबड़ नीति

663. श्री एंटो एन्टोनीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में एक नई राष्ट्रीय रबड़ नीति बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी हितधारकों की राय को ध्यान में रखा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या नई नीति से देश में प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों को मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : वाणिज्य विभाग ने मार्च 2019 में राष्ट्रीय रबड़ नीति बनाई । राष्ट्रीय रबड़ नीति में प्राकृतिक रबड़ (एनआर) उत्पादन क्षेत्र और समूचे रबड़ उद्योग मूल्य श्रृंखला को सहायता देने के अनेक प्रावधान शामिल हैं । इस नीति में रबड़ का नव रोपण एवं पुनर्रोपण, उत्पादकों के लिए सहायता, एनआर का प्रसंस्करण और विपणन, श्रमिकों की कमी, उत्पादक फोरमों, बाहरी व्यापार, केन्द्र -राज्य एकीकृत कार्यनीतियां, अनुसंधान, प्रशिक्षण, रबड़ उत्पाद निर्माण और निर्यात, जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं, नकली बाजार आदि शामिल हैं ।

(ग) से (ड.) : राष्ट्रीय रबड़ नीति देश में रबड़ उत्पादकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को कम करने के लिए रबड़ क्षेत्र संबंधी गठित कार्य बल द्वारा अभिज्ञात अल्पावधि और दीर्घकालिक कार्यनीतियों पर आधारित है । इस कार्य बल ने रबड़ क्षेत्र के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया । राष्ट्रीय रबड़ नीति की अधिसूचना से पहले, स्टेकहोल्डरों के विचार प्राप्त किए गए । इस नीति से एनआर के उत्पादकों को लाभ प्रदान करने तथा एनआर उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने की आशा है ।

(च) : उत्पादकों के कल्याण के लिए एनआर क्षेत्र को सहायता देने हेतु विकासात्मक और अनुसंधान गतिविधियां, रबड़ बोर्ड द्वारा मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) (2017 -18 से 2019 -20) में '' प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत् और समावेशी विकास '' योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से की जाती हैं । इन विकासात्मक गतिविधियों में रोपण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामाग्रियों की आपूर्ति, उत्पादक फोरमों के लिए सहायता, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 656**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा

656. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चीन भारतीय कंपनियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधक प्रथाओं को अपना रहा है ताकि उन्हें खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सके;
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय कंपनियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या कृषि, डेयरी उत्पादों और भेषजों के लिए बड़े बाजार तक सुगम पहुंच को बनाए रखने की आवश्यकता है;
(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) क्या सरकार ने चीन के साथ अत्यधिक व्यापार घाटे को रोकने के लिए निर्यात को बढावा देने और आयात में कमी करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या आयात और निर्यात के बीच के अंतर को भरने के लिए निर्यात प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : उद्योग के एक भाग ने मत व्यक्त किया है कि स्थानीय अनुभव की आवश्यकताओं जैसी कुछ शर्तें, चीन की खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सीमित कर रही हैं । भारत सरकार चीन के संबद्ध सरकारी निकायों से जुड रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्राप्त हो । इस तरह के मुद्दों पर समय - समय पर द्विपक्षीय बैठकों में चर्चा की जाती है जिससे की बाजार पहुंच में ऐसे किसी प्रतिबंध का समाधान किया जा सके ।

(ग) जी हां ।

(घ) से (च) : भारत सरकार चीन को भारतीय निर्यातों के लिए व्यापार अवरोधों को कम करके व्यापार घाटे को पाटने के लिए निरंतर और सतत् प्रयास कर रही है । दिनांक 26 मार्च , 2018 को नई दिल्ली में आयोजित भारत - चीन आर्थिक संबंधों पर संयुक्त समूह (जेईजी) के 11 वें सत्र के दौरान दोनों देश अधिक संतुलित और अधिक स्थायी तरीके से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हुए । चीन के बाजार में विभिन्न भारतीय कृषि

उत्पादों दुग्ध और औषधीय उत्पादों आदि की संभाव्यता के आलोक में बाजार पहुंच प्राप्त करने हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों के भाग के रूप में अधिकारिक स्तर पर चीनी समकक्षों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं । भारत से चीन को भारतीय चावल, रेपसीड मील, तंबाकू और फिशमील/फिशआयल चिलीमील का निर्यात सुगम करने के लिए अनेक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं । चीन की अद्यतन विनियामक प्रक्रियाओं के संबंध में भारतीय फार्मा निर्यातकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दिनांक 21 जून, 2019 को संघाई, चीन में चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन, और भारत के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला आयोजित की गई थी ।

भारत सरकार ने चीनी, आयलमील्स, भारतीय चावल, अंगूर आदि के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए चीन के संभाव्य आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच क्रेता - विक्रेता बैठकों का सुगमीकरण करके निर्यातकों को सहायता प्रदान करने हेतु अनेक उपाय भी किए हैं । इसके अलावा, भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करने हेतु भारतीय निर्यातकों को चीन में आयोजित प्रमुख व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ।

सरकार घरेलू उद्योगों को आयातों के साथ प्रभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करने हेतु अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों को लागू कर रही है । घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘ मेक इन इंडिया ’, डिजिटल इंडिया, साफ्टवेअर टेक्नालॉजी पार्क्स (एसटीपीएस), इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेअर टेक्नालोजी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम/ निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) स्कीम, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्कीम (एसईजेड) आदि का देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती हैं ।

विदेश व्यापार नीति 2015 -20 में भारत पण्य वस्तु निर्यात स्कीम, अग्रिम प्राधिकार स्कीम, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम, ब्याज समकरण स्कीम जैसे तंत्र हैं, जो अपने निर्यातों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु व्यवसायों के लिए सक्षम रूपरेखा प्रदान करते हैं । नीति और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के रूप में, सरकार द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप नियमित रूप से किया जाता है जिससे कि व्यवसाय गतिशील अंतराराष्ट्रीय व्यापार परिदृष्य का सामना कर सके ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ***तारांकित प्रश्न सं. 75**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

रबड़ उद्योग की क्षमता

*75. श्री एच॰ वसंतकुमारः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा रबड़ उत्पादों के मुक्त आयात, उच्च ब्याज लागत जिसके कारण उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण की ओर धीमी गति से बदलाव, मूल्य संवर्धन की निम्न दर इत्यादि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन मुद्दों का समाधन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

"रबड़ उद्योग की क्षमता" विषय पर लोक सभा में दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 75 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): आयातकों द्वारा वस्तुओं का आयात वस्तुओं से संबंधित लागू आयात नीति के अनुसार किया जाता है। वस्तुओं का आयात मुक्त, प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो सकता है। रबड़ चढ़ा टायर/उपयोग किए गए टायरों (एचएस 4012) के अलावा रबड़ उत्पादों का आयात बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त है। 'मुक्त' आयात से तात्पर्य है कि वस्तु का आयात बिना किसी प्रतिबंध के परन्तु अन्य घरेलू कानूनों, नियमों, विनियमों का अनुपालन करते हुए प्रयोज्य आयात शुल्क की अदायगी करके किया जा सकता है। रबड़ उत्पादों के आयात का मूल्य 2010-11 में 5,074 करोड़ रूपये से बढ़कर 2017-18 में 9,378 करोड़ रूपये हो गया। रबड़ उत्पादों के निर्यात का मूल्य 2010-11 में 8,447 करोड़ रूपये से बढ़कर 2017-18 में 20,916 करोड़ रूपये हो गया। रबड़ उत्पादों में व्यापार अधिशेष वर्ष 2010-11 में 3,373 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 11,538 करोड़ रूपए हो गया । भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान एसोशिएसन (आईआरएमआरए) और रबड़ बोर्ड उत्पाद विकास अनुसंधान करता है और रबड़ उत्पाद उद्योग के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी परामर्श और परीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय रबड़ नीति पहले ही जारी हो चुकी है जो अन्य बातों के साथ-साथ, रबड़ उत्पाद विनिर्माण और निर्यातों के विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, रबड़ उत्पादों के आयात के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए है: -

(i) बजट एक्सरसाइज 2018-19 में रबड़ टायरों के आयात की जांच की गयी और तदनुसार प्रशुल्क मद 40112010 के तहत आने वाले ट्रक एवं बस रेडियल टायरों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) दर 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई।

(ii) 27 सितंबर,2018 से प्रशुल्क मद 40111010 के तहत आने वाले मोटर कार रेडियल टायरों पर बीसीडी दर 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई ।

(iii) एक्रोलोनटराईल ब्युटाडीन, स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबड़ (एसबीआर) और कुछ देशों से आयातित या उद्भावित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ***तारांकित प्रश्न सं. 64**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

कृषि निर्यात के लिये परिवहन राजसहायता

* 64.श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निर्यातकों/राज्यों को परिवहन राजसहायता प्रदान करके कृषि निर्यात में वृद्धि करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन के लिये निर्यात एजेंसियों को प्रदान की जा रही अन्य राजसहायताओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

श्री वाई एस अविनाश रेड्डी द्वारा "कृषि निर्यात के लिए परिवहन राज सहायता" विषय पर पूछा गया 26.6.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 64 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): जी हां । सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम-'विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता' लाई है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए मालभाड़ा क्षति को कम करने और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल भाड़े के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करना है । स्कीम के तहत सहायता उपलब्ध कराने से वृद्धित प्रतिस्पर्धात्मकता के जरिए विदेश स्थित बाजारों में ब्राडेंड कृषि उत्पादों का निर्यात अधिक होने की संभावना है। यह स्कीम 27 फरवरी 2019 को अधिसूचित की गई ।

विशिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यातकों को इस स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है । इस स्कीम में अनुबंध - I में सूचीबंद्ध अपवादों के साथ आईटीसी (एचएस) कोड सूची के अध्याय 1 से 24 के तहत आने वाले सभी कृषि उत्पाद शामिल हैं ।

समुद्र से उत्पादों के निर्यात के लिए, बीस-फुट के समरूप यूनिट (टीईयू) कंटनरों पर अदा किए गए मालभाडे के आधार पर सहायता दी जाती है। वायुमार्ग से निर्यात किए गए उत्पादों के लिए सहायता, भिन्न अंक को छोड़ते हुए, फुल टन आधार पर गणना किए गए निर्यात कार्गो के निवल भार पर प्रति टन माल भाड़े शुल्क के आधार पर दी जाती है।

चाय बोर्ड ने "आईसीडी अमीनगांव" के जरिए निर्यात की गई चाय पर वहन किए जाने वाले अतिरिक्त परिवहन एवं रखरखाव शुल्कों को पूरा करने के लिए चाय निर्यातकों को सहायता देने हेतु स्कीम ' भी शुरू की है । यह स्कीम आईसीडी अमीनगावं, असम से चाय की शिपिंग कर रहे निर्यातकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी जाती है कि पोत लदान के पत्तन से अमीनगांव को वापस आने के दौरान खाली कन्टेनरों की ढुलाई खर्च से उत्पन्न परिवहन और टर्मिनल हैण्डलिंग प्रभार के लिए शिपिंग कंपनियों द्वारा अतिरिक्त प्रभार वसूला जा रहा है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है। आईसीडी, अमीनगावं के जरिए चाय के निर्यात हेतु प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता 2.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. चाय है।

काफी बोर्ड अपनी समेकित काफी विकास परियोजना के तहत भी निम्नलिखित के लिए ट्रांजिट/ मालभाड़ा सहायता उपलब्ध कराता है:

(i) सुदूर स्थित उच्च -मूल्य बाजारों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और नार्वे को उच्च मूल्य की ग्रीन काफी के निर्यात के लिए 2 रूपये प्रति कि.ग्रा.।
(ii) 'इंडिया ब्रांड' के रूप में निर्यात किए जाने वाले खुदरा उपभोक्ता पैकों में मूल्य वर्द्धित काफी के निर्यात के लिए 3 रूपये प्रति कि.ग्रा. ।
(ग) देश से कृषि उत्पादों का निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है । नई शुरू की गई कृषि निर्यात नीति में कृषि निर्यात की वृद्धि के लिए विभिन्न उपायों में कार्यनीतिक एवं प्रचालनात्मक दोनों तरह के उपायों को शामिल किया गया है । वाणिज्य विभाग में कृषि उत्पादों के लिए निर्यात सहित निर्यात संवर्धन के लिए अनेक योजनाएं जैसे निर्यात के लिए व्यापार अवसरंचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि । इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के निर्यातकों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड तथा मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत भी सहायता उपलब्ध है । संगठन अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करके, विभिन्न उत्पादों के लिए विभिन्न बाजारों में बाजार पहुंच प्राप्त करने की पहल करके,बाजार आसूचना का संवितरण करके,निर्यातित उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय करके निर्यात संवर्धन करते हैं ।

अध्याय	एचएस कोड	विवरण
अध्याय 1, 2 और 5	सभी एचएस कोड	- जीवित पशु - मांस और खाद्य मांस चीथड़े – पशुओं से प्राप्त उत्पाद, जो अन्यथा निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
अध्याय 3	030617	- अन्य चिंराट और झींगे:
अध्याय 4	0401	- दूध और क्रीम, न तो सांद्र केन्द्रित और न ही चीनी युक्त या अन्य मीठा पदार्थ डाला हुआ
	0402	- दूध और क्रीम, सांद्र, कैंद्रित या चीनी युक्त या अन्य मीठा पदार्थ युक्त
	0403	- छाछ, दही वाला दूध और क्रीम, दही, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीकृत दूध और क्रीम, चाहे वह सांद्रित हो या नहीं चीनी युक्त या अन्य मीठा पदार्थ युक्त या स्वाद या मिला हुआ पदार्थ फल, नट या कोको युक्त हो या नहीं ।
	0404	- मट्ठा, चाहे या सान्द्रित हो या ना हो या चीनी युक्त या अन्य मीठा पदार्थ; उत्पादों में प्राकृतिक दूध के घटक शामिल हैं, चाहे चीनी या अन्य मिठास युक्त पदार्थ हों या नहीं, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
	0405	- मक्खन और दूध से प्राप्त अन्य वसा और तेल; डेयरी स्प्रेड
	0406	- पनीर और दही
अध्याय 7	0703	- प्याज, छोटे प्याज, लहसुन, लीक और अन्य लहसुन -प्याज आदि की जाति की सब्जियां, ताजा या प्रशीतित
अध्याय 10	1001, 1006	– गेहूं और मेसलिन - चावल
अध्याय 13 और 14	सभी एचएस कोड	- लाख; गोंद , रेजिन और सब्जी के अन्य रस और अर्क - वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
अध्याय 17	1701, 1703	- गन्ना या चुकदर शर्करा और रासायनिक रूप से शुद्ध इक्षुशकर्रा, ठोस रूप में - स्वाद या रंजक पदार्थ मुक्त कच्चा चीनी -शक्कर के अर्क या शोधन के परिणामस्वरूप बनने वाली गुड़
अध्याय 22 और 24	सभी एचएस कोड	- पेय पदार्थ, स्प्रिट और सिरका - तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू विकल्प

“अमेरिका द्वारा जीएसपी वापस लिया जाना” विषय पर लोक सभा में दिनांक 26.06.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 62 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) : जी हां । भारत ने कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान जीएसपी कार्यक्रम के तहत अमेरिका को 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसटीआर आंकड़ों के अनुसार) मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जो वर्ष के दौरान अमेरिका को भारत के कुल निर्यात में 12.1 प्रतिशत का योगदान था।

(ख): 2018 के आंकड़ों के आधार पर जीएसपी लाभ प्राप्त करने वाले संभावित उत्पादों एवं उनके मूल्य का (उत्पादवार) ब्यौरा यूएसआईटीसी बेवसाईट पर उपलब्ध है।

(ग) : इसका प्रभाव प्रत्येक उत्पाद स्तर पर रियायतों के आधार पर अलग-अलग होगा जिसमें जीएसपी लाभों से 2018 में संयुक्त राज्य अमेरीका को भारत में निर्यात पर 3.8 प्रतिशत की औसत शुल्क रियायत और प्रत्येक उत्पाद के लिए अन्य विशिष्ट कारक शामिल हैं ।

(घ): व्यापार संबंधी मुद्दे किन्हीं भी चल रहे आर्थिक संबंधों का भाग होते हैं और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नियमित द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के एक भाग के रूप में इन पर विचार- विमर्श और इनका समाधान किया जाता रहेगा ।

(ड.): वर्ष 2018 में जीएसपी के कारण शुल्क में कुल रियायत 240 मिलियन डॉलर थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जीएसपी लाभों को प्राप्त करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 3.8 प्रतिशत था। भारतीय उद्योग अपने निर्यात उत्पादों में प्रतिस्पर्धात्मक हैं और इसका हमारे व्यापार पर ज्यादा प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है।

****